

Impose a penalty up to the rate of two hundred and fifty rupees per day for such delay on the Designated Officer and/or any official involved in the process of providing such service. Which shall not be more than five thousand rupees in each case.

नगर निगम रोहतक					
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत					
नीचे दी गई सेवाएं दिए गए समय के भीतर नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं।					
क्र० सं०	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा (कार्य दिवस)	पदबिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	(1) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर निगम शहर (2) जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियां-नगर कस्बों	चालू वर्ष के की लिए 7 दिन तथा पहले से ही पंजीकृत जन्म तथा मृत्यु के लिए पूर्व वर्षों के लिए 15 दिन चालू वर्ष के की लिए 7 दिन तथा पूर्व वर्षों के लिए 15 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
2	भवन योजना की स्वीकृति/ पुनरीक्षित भवन योजना (आवासीय) सभी नगर पालिकाएं आर्थात् नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियाँ	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार/कार्यकारी अधिकारी/सचिव जैसी भी स्थिति हो। मुख्य नगर योजनाकार/कार्यकारी अधिकारी/सचिव जैसी भी स्थिति हो।	नगर पालिका परिषद/नगर पालिका समिति के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/नगर पालिका समिति के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
3	भवन योजना की स्वीकृति/पुनरीक्षित भवन योजना (आवासीय से भिन्न) सभी नगर पालिकाएं आर्थात् नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियाँ	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार/कार्यकारी अधिकारी/सचिव जैसी भी स्थिति हो।	नगर पालिका परिषद/नगर पालिका समिति के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/नगर पालिका समिति के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
4	नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक करायान अधिकारी, सम्बद्ध नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी/ उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्बद्ध जिला का उपायुक्त
5	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक करायान अधिकारी,	नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी/ उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
6	नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञप्ति का नवनीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक करायान अधिकारी,	नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी/ उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
7	गलियों/सड़कों से ठोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, सम्बद्ध नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/ उप नगर पालिका आयुक्त नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पालिका समिति के मामले में सचिव	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
8	स्ट्रीट लाइट्स का प्रतिस्थापन	स्टोरस में सामग्री की उपलब्धता के अधीन रहते हुए 10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियान्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियान्ता, सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में पालिका अभियान्ता	निगम शहरों के मामले में अधिक्षक अभियान्ता/मुख्य अभियान्ता सम्बद्ध नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्बद्ध उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी
9 (I)	1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
(II)	1000 वर्गमीटर 5000 वर्गमीटर स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
(III)	5000 वर्गमीटर तथा से अधिक स्थलों के लिए वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहरी स्थानीय निकाय	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
(IV)	5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुडगांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर निगमों/ परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन	सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
10	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति	सभी मामलों में, सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 60 कार्य दिवस सिवाय उन मामलों में जहां सरकार क्षमता है।	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार